भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-643
उत्तर दिनांक 03/12/2025 को दिया गया

रूस के रोसैटम के साथ समझौते

643. डॉ. मल्लू रवि

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) 10 नवंबर 2025 को परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और रूस के रोसाटॉम के बीच उच्च-स्तरीय बैठक के पश्चात विशेष रूप से छोट मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के संयुक्त विकास और भारत में उपकरण निर्माण के स्थानीयकरण के संबंध में कुडनकुलम परियोजना से इतर अन्य प्रकार के सहयोग संबंधी विशिष्ट समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ आरंभ किए गए "विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन" की वर्तमान स्थिति और 'भारत स्मॉल रिएक्टर' (बीएसआर) विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में प्रस्तावित संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिए सरकार की समय-सीमा क्या है, जो निजी निवेश को सुगम बनाने और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) डीएई और रोसाटॉम के बीच नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग जैसे कि बड़े और छोटे, दोनों तरह के नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए परियोजनाओं का विकास और नाभिकीय ईंधन चक्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित एक बैठक हुई। विशेषकर, भारत में उपकरणों के स्थानीयकरण के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहयोग के नए क्षेत्रों में से एक, रूसी द्वारा अभिकल्पित लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) का भारत में निर्माण भी शामिल है।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा मिशन के लिए बजट 2025-26 की घोषणा में, वर्ष 2033 तक ₹20,000 करोड़ के परिव्यय से पांच स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास और स्थापन पर बल दिया गया है।

बीएआरसी ने निम्नानुसार एसएमआर की डिज़ाइन और विकास कार्य शुरू किया है,

1. 200 मेगावाट भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर-200),

2. 55 मेगावाट लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर-55), और
3. हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 5 MWth तक का उच्च तापमान गैस शीतित रिएक्टर।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए डीएई स्थल पर इन रिएक्टरों की अग्रणी यूनिटों के निर्माण का प्रस्ताव है। परियोजना की मंज़ूरी मिलने के 60 से 72 माह में प्रदर्शन रिएक्टर निर्माण किए जाने की संभावना है।

उद्योगों के स्वोत्पाद (कैप्टिव) उपयोग के लिए भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) के संबंध में, एनपीसीआईएल ने सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल के अनुरूप दिनांक 31 दिसंबर, 2024 को एक निविदा अनुरोध (आरएफपी) जारी किया। फरवरी 2025 में एक पूर्व-प्रस्ताव बैठक आयोजित की गई जहाँ इच्छुक उद्योगों के सवालों पर बात की गई। विभिन्न इच्छुक उद्योगों द्वारा उठाए गए सभी सवालों पर स्पष्टीकरण समेकित करके एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, उद्योगों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, आरएफपी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2026 कर दी गई है।

(ग) परमाणु ऊर्जा बिल 2025 का मसौदा वर्तमान में प्रक्रिया के उन्नत चरण में है और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त अंतिम टिप्पणियों और सुझावों को क्रमबद्ध रूप से शामिल किया जा रहा है, साथ ही कानूनी तौर पर अनुपालन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय भी इसका आवश्यक परीक्षण कर रहा है। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, विधेयक के विशिष्ट पहलुओं के संबंध में सरकार के नीति निर्देशों को उचित तरीके से शामिल किया जा रहा है।

*****